

भी उपस्थित नहीं हैं अतः एकपक्षीय
कार्रवाई के क्रम में जले हैं पत्रावली
वास्ते बहस र्द 30-8-18 को पेश हो

दिनांक 30-08-2018

उपखण्ड अधिकारी
महवा (विजय दौसा)

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक
12-09-2018 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (विजय दौसा)

दिनांक 12-09-2018

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू
राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर
हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (विजय दौसा)